संख्या– 418 /III(2)14–51(सामान्य)/2013

प्रेषक,

डॉ0 एस0एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 03 जुलाई, 2014

विषय : राज्य अन्तर्गत मार्गों/सेतुओं के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण।

महोदय,

कृपया, प्रदेश के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्गों की गुणवत्ता की नियमित जांच कराये जाने विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 266/मु.स.–नि.स./2014, दिनांक 20 मई, 2014, मेरे पत्रांक–3242/III(2)/14/लो.नि.वि./2014, दिनांक 26 मई,2014 एवं अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 14 जून 2014 तथा प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री के पत्रांक–3826/III(2)14–51(सामान्य)/13, दिनांक 12 जून, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासन द्वारा लो.नि.वि. के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में जांच दल गठित कर उन्हें विभिन्न मोटर मार्गों की गुणवत्ता की जांच आवंटित की जा रही है। तथापि आप सहमत होंगे कि कदाचित फील्ड स्तर पर जिलाधिकारी के द्वारा स्वयं अथवा मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में अन्य विभागों के अभियन्ताओं का जांच दल गठित कर उनके द्वारा निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है।

3. अतएव, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रशासनिक अधिकारियों के लिये भी लो.नि.वि. के निर्माणाधीन मार्गों/सेतुओं के निरीक्षण हेतु समय सारणी तय की गयी है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी भी सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तर 4 में दी गयी समयसारणी के अनुसार मार्गों का अनिवार्यतः निरीक्षण कर संलग्न प्रारूप पर अपनी जांच आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव, लो.नि.वि. को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित जनपद के अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं से तालिका के कालम 3 में वर्णित लागत के कार्यों की सूची मंगाकर जिलाधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को भेजेंगे तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता कृत कार्यवाही का अनुश्रवण करेंगे। जिलाधिकारी अपने स्तर से मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारियों को उपरोक्तानुसार निर्देश जारी करेंगे ताकि वे तत्परता से वांछित कार्यवाही कर अपनी आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजे सकें।

4. प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण हेतु समय सारणी निम्नवत होगीः–

क्र.स.	अधिकारी का पदनाम	कार्य की लागत जिनका निरीक्षण कालम संख्या 2 में अंकित अधिकारी द्वारा किया जाना है	निरीक्षण की अवधि जिसमें कालम 3 में उल्लिखित लागत के कार्यों का निरीक्षण कम से कम एक बार किया जाना है
1	2	3	4
1	जिलाधिकारी	5 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य	यथा संभव शीध्र
2	मुख्य विकास अधिकारी	2 करोड़ से अधिक लागत के 50 प्रतिशत कार्य	प्रत्येक तीन माह में
3	अपर जिलाधिकारी	2 करोड़ से अधिक लागत के 50 प्रतिशत कार्य	प्रत्येक तीन माह में
4	उपजिलाधिकारी	1 करोड़ से अधिक लागत के अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त कार्य	प्रत्येक दो माह में

5. अतएव, कृपया उपरोक्तानुसार कार्य आबंटन करते हुये समयबद्व,अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

नोट : – नामित अधिकारी आवश्यकतानुसार तालिका में इंगित लागत से कम लागत के कार्यों का भी निरीक्षण कर सकेंगे।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव।

4107

संख्या– /III(2)14–51(सामान्य)/13, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से सभी अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश जारी करें कि वे तत्काल वांछित कार्यों की सूचियां एवं अन्य आवश्यक अभिलेख 4 प्रतियों में सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायें ताकि वे अपने स्तर से सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यों की सूची एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध करा सकें।

1. प्रमुख अभियन्ता लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. देहरादून/पौडी/हल्द्वानी/अल्मोडा।
3. मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग/ए.डी.बी. देहरादून

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव।

4107

प्रमुख सचिव, मा.मुख्यमंत्री ,उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या – /III(2)14–51(सामान्य)/2013, दिनांकः 03 जुलाई 2014 का संलग्नक

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा निर्माणाधीन मार्गों /सेतुओं की निरीक्षण आख्या :

निरीक्षण की तिथि ....

(1) अधिशासी अभियन्ता का नाम ....

(2) सहायक अभियन्ता का नाम ....

(3) अपर सहायक अभियन्ता /कनिष्ठ आभियन्ता का नाम ....

कस.	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई/सेतु का स्पान	स्वीकृत कार्य की लागत लाख रु0 में	अनुबन्ध के अनुसार		गत माह तक वित्तीय प्रगति लाख रु में	कार्य की भौतिक प्रगति
						कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. गुणवत्ता सम्बन्धी आख्या :

12. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा स्वंय उपरोक्त कार्य का निरीक्षण किया गया तथा गुणवत्ता में पायी गयी कमियों का उल्लेख उपरोक्तानुसार किया गया है।

निरीक्षण कर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :